न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान रेशमा देवी बनाम अमरचन्द आदि

प्रकरण संख्या 21 / 2018 अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो इस पालना
18/06/24	अधिवक्तागण उपस्थित। अप्रार्थी स. 4, 15, 16 को भेजे गए पंजीकृत डाक नोटिस की डिलिवरी रिपोर्ट पेश की। रवानिल मिसल रहे। अप्रार्थी स. 4, 15, 16 को टेर कर 3 बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी स. 4, 15, 16 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। अप्रार्थी स. 11 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर बन्द किया जाता है। जवाब रेट बन्द किया जाता है। अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 23/04/2018 मूलवाद के निर्णय तक स्थायी की जाती है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)